**<u>पेंशन का कार्य</u>**

मेघालय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, मेघालय से सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विधान सभा के सदस्यों से संबंधित नियमित पेंशन, पारिवारिक पेंशन/ परिवार पेंशन, संराशीकरण, उपदानों और विविध प्रकार के कार्यों से संबंधित अन्य सभी पेंशन का सत्यापन और प्राधिकार ।

**<u>कार्यों के प्रकार, इस प्रकार से हैं:-</u>**

क) पेंशन कागजातों और सेवा पुस्तकों की प्राप्ति |

ख) जाँच, संवीक्षा और रिपोर्टिंग/ प्रतिवेदन |

ग) विभिन्न प्राधिकरणों को जारी करना अर्थात

i) **पेंशन अदायगी आदेश (पी.पी.ओ):-** पेंशन मामले को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद जारी किया गया |

ii) **उपदान अदायगी आदेश (जी.पी.ओ):-** इस कार्यालय के ऋण अनुभाग से बेबाकी प्रमाणपत्र (एन.डी.सी) की प्राप्ति प्रदान करने के बाद अंतिम रूप में पेंशन अदायगी आदेश जारी किया गया |

iii) **संराशीकरण अदायगी आदेश (सी.पी.ओ): -** संराशीकरण आवेदन की प्राप्ति पर , मेघालय वित्त ( पेंशन प्रकोष्ठ) विभाग से संस्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कंप्यूटर में गणना की जाती है | वित्त (पेंशन प्रकोष्ठ) विभाग से संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति पर, इस कार्यालय से संराशीकरण अदायगी आदेशों को प्राधिकृत किया जाता है|

घ) विशेष मुहर प्राधिकरणों (आवक और जावक) के मामलों को संभालते हुए- अन्य राज्यों के पेंशनभोगियों ने इस राज्य से पेंशन प्राप्त करने के विकल्प का चुनाव किया और इसके विपरीत विकल्प चुनाव किया, तो पेंशन अदायगी आदेश को भुगतान के लिए पेंशन अदायगी आदेश में दर्शाए गए संबंधित संवितरण अधिकारी को भेज दिया जाता है ।

ङ) मेघालय राज्य के अधिकार क्षेत्र/ अधिकारिकता में आने वाले विभिन्न कोषागारों को पेंशन, महंगाई भत्ते आदि पर राहत के संबंध में सभी विभिन्न राज्य सरकार के आदेशों को अग्रेषित करना |

च) अन्य परिमंडल/ राज्यों को पेंशन अदायगी आदेश का हस्तांतरण |

छ) राज्य सरकार के कर्मचारी के पेंशन अंशदान की गणना जो विदेश सेवा/ प्रतिनियुक्ति पर हैं|

ज) बैंक में पेंशन अंशदान के लिए चालान और चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की तैयारी।

झ) मेघालय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के अनुसार समय-समय पर पेंशन मामलों में पुनरीक्षण और कैरियर प्रगति प्रक्रिया/ पुनरीक्षित कैरियर प्रगति प्रक्रिया (एसीपीएस/एमएसीपी) योजना लाभों के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना।

ञ) संबंधित पेंशन अदायगी आदेश, उपदान अदायगी आदेश और संराशीकरण अदायगी आदेश रजिस्टरों में पेंशन का प्रथम भुगतान , उपदान एवं संराशीकरण हेतु राजकोष वाउचर संख्या (टी.वी. संख्या) और तिथि की टिप्पण/ दर्ज करना |

ट) सभी राज्य सरकार के कोषागारों को महीने के दौरान निपटाए गए पेंशन अदायगी आदेश, उपदान अदायगी आदेश और संराशीकरण अदायगी आदेश की मासिक सूची अग्रेषित करना ।

ठ) सभी पेंशन फाइल/ मिसिल (पुरानी और नई) के अभिलेखों का अनुरक्षण।

ड) कार्य की विविध प्रकृति जैसे, समय वर्जित प्राधिकरणों, पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु पर पुत्र या पुत्री को पारिवारिक/ परिवार पेंशन का प्राधिकार, नाम में सुधार, पते में परिवर्तन, पुनरीक्षित बेबाकी प्रमाणपत्र (एनडीसी) प्राधिकरण का जारी आदि |